फैक्टरी में 135 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी, 1.35 करोड़ रूपये जुर्माना

नई दिल्लीः 17 जनवरी, 2012। बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम को कई दिनों की मेहनत के बाद एक कॉपर वायर फैक्टरी में 135 किलोवॉट बिजली की चोरी पकड़ने में सफलता मिली है। इस सफलता के लिए एन्फोर्समेंट टीम को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी और अंततः वे बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के प्रावधानों के तहत, फैक्टरी मालिकों पर 1.35 करोड़ रूपये का जुर्माना किया जा रहा है। यदि वे तय समय पर जुर्माने की रकम का भगतान नहीं करते हैं, तो उन पर बिजली की स्पेशल कोर्ट में मामला दर्ज कराया जाएगा। गौरतलब है कि फैक्टरी मालिक बहुत चालाकी से कंटिया के सहारे बिजली की चोरी कर रहा था। हालांकि, फैक्टरी में बिजली के दो मीटर मिले, लेकिन दोनों ही मीटर डेड थे– यानी काम नहीं कर रहे थे।

588/ 1820, मोतीराम रोड, शाहदरा स्थित इस कॉपर वायर फैक्टरी में हो रही भारी बिजली चोरी को रोकने के लिए एन्फोर्समेंट टीम ने कई बार यहां छापेमारी की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। दरअसल, फैक्टरी मालिक काफी चालाकी के साथ 135 किलोवॉट की बिजली चोरी कर रहा था। फैक्टरी मालिक ने गली के बाहर अपने किसी इन्फॉरमर को लगातार बिठाया हुआ था, जो पुलिस की गाड़ी देखते ही उसे फोन से सूचित कर देता था। और, इस तरह पुलिस व बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम के पहुंचने से पहले ही वह कटिया वाले तारों को वहां से हटा देता था। नतीजा, बीवाईपीएल और पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ता था।

लेकिन बीवाईपीएल टीम के पास उस फैक्टरी में भारी पैमाने पर हो रही बिजली चोरी के बारे में पक्की सूचना थी, लिहाजा उसने कोशिश जारी रखी और छापेमारी की अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया। इस बार बीवाईपीएल टीम बिना पुलिस के ही छापेमारी करने गई। जाहिर है, फैक्टरी मालिक का इन्फॉरमर चकमा खा गया और वह उसे सूचित नहीं कर पाया। इस तरह, बीवाईपीएल टीम फैक्टरी में 135 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ने में कामयाब हो गई। बाद में एन्फोर्समेंट टीम ने पुलिस को बुलाया और पूरे मामले की विडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी की गई ताकि स्पेशल कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें।

फैक्टरी मालिक ने अपनी कॉपर वायर फैक्टरी का 135 किलोवॉट लोड सीधे तौर पर बीएसईएस की तारों पर डाला हुआ था। उसने मकानों की दीवारों के सहारे अपनी अवैध वायर्स को बीएसईएस की तारों से जोड़ रखा था। वह ऐसी तारों का इस्तेमाल कर रहा था, जो आमतौर पर बिजली के लिए उपयोग में नहीं लाई जातीं। साथ ही, उसने पूरी तार पर टेप चिपकाया हुआ था, ताकि किसी को यह शक न हो कि यह बिजली की तार है। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि यह शायद केबल टीवी की तार हो। चूंकि मकानों के सहारे इसे लाया जा रहा था, इसलिए भी किसी को शक नहीं हो रहा था। उसने अपने परिसर में ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि बाहर से आ रही उसकी अवैध तार एक स्विच के माध्यम से घर के भीतर की तारों से कनेक्ट होती थी। यदि छापेमारी की सूचना मिलती थी, तो वह तुरंत उस स्विच से बाहर की तार को निकाल देता था। उसके बाद बिजली चोरी का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता था।

बिजली चोर को दिखाया तिहाड़ का रास्ताः

न्यू सीलमपुर निवासी मोहम्मद अहमद को बिजली की स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। वह बीएसईएस की तारों पर कटिया डालकर, 5.2 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी कर रहा था। बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने उसके यहां 25 फरवरी, 2011 को छापा मार कर, उसे बिजली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। मोहम्मद अहमद पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक 11 लाख 28 हजार रूपये का जुर्माना किया गया था, जिसका भुगतान उसने नहीं किया। उसके बाद, बीवाईपीएल इस मामले को स्पेशल कोर्ट में ले गई। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद अहमद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।